

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
(भू-अर्जन निदेशालय)

पत्र सं०- 14/डी.एल.ए. .... /पटना, दिनांक-.....

वापसी अधिसूचना

लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थर्मल पावर परियोजना के निर्माणार्थ /स्थापनार्थ मौजा- महरथपुर, थाना नं०- 85 अंचल- सूर्यगढ़ा में रकवा 331.10 एकड़ भूमि अर्जन हेतु अधिनियम की धारा 4/6 के तहत अधिसूचना संख्या- 14/डी.एल.ए./लखी०, (टी.पी.पी.) 30/11- 1215/रा०, दिनांक- 01.07.2011 तथा अधिघोषण संख्या - 14/डी.एल.ए./लखी० ( टी. पी. पी ) - 30/11- 1235/रा०, दिनांक- 04.07.2011 द्वारा निर्गत एवं संसूचित किया गया था।

उक्त अर्जित/अधिग्रहित भूमि में से खेसरा सं०- 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 574, 590, 591, 592, 595, 596, 599, 600, 606, 668, 670, 678, 681, 682, 683, 685, 686, 691, 818 कुल रकवा- 5.59 एकड़ सरकारी भूमि (डकरा नाला हेतु पम्प नहर, प्रमंडल सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर) पाये जाने के कारण भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत अर्जन से विमुक्त किया जाता है। शेष रकवा 325.51 एकड़ यथावत रहेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

11.3.13  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

समाहर्ता,  
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापक-2076/भू-अर्जन दिनांक-27-08-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी०डी० सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपि :- उप-समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :- आग्रहा, मुंगेर, मुंगेर के मुख्यालय प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

11.3.13  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

समाहर्ता,  
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,